क्रम संख्या–39 (ख) पंजीकरण संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, मंगलवार, 12 मई, 2020 ई0

वैशाख 22, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संख्या 199/20–XIX–2/70 खाद्य/2012

देहरादून, 12 मई, 2020

अधिसूचना

सा0प0नि0–09

राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिकमण करते हुये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (विपणन शाखा) अधीनस्थ सेवा के पदों पर भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (विपणन शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली, 2020

भाग–1 सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (विपणन शाखा) अधीनस्थ सेवा नियमावली 2020" है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2– उत्तराखण्ड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (विपणन शाखा) अधीनस्थ सेवा में समूह **"ग"** के पद सम्मिलित है।

परिभाषायें 3– जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में–

(एक) " **नियुक्ति प्राधिकारी** " से आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(दो) "**भारत का नागरिक** " से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो संविधान के भाग–दो के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाये।

(तीन) "आयोग" से लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(चार) "**आयुक्त**" से आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(पॉच)"**संविधान**" से भारत के संविधान अभिप्रेत हैं ।

(छः) "**सरकार**" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है ।

(सात) "**राज्यपाल**" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं।

(आठ) " **सेवा का सदस्य** " से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(नौ) " **सेवा** " से उत्तराखण्ड खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (विपणन शाखा) अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है।

(दस) " **मौलिक नियुक्ति** " से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार की गई हो, और

(ग्यारह) "**भर्ती का वर्ष**" से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है

भाग 2–सवंर्ग

सेवा की सदस्य संख्या 4– (1) सेवा की सदस्य और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाये ।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उतनी होगी जितनी **परिशिष्ट–'क'** में दी गयी है;

परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल से उसे आस्थागित रख सकते है, जिसमें कोई प्रतिकर का हकदार न हो और

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे अतिरिक्त अस्थायी या स्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हे वह उचित समझें।

भाग–3–भर्ती

भर्ती का स्रोत– 5– सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगी।

(1) विपणन निरीक्षक :–

(क) पिच्चहतर प्रतिशत (75%) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और

(ख) तेईस प्रतिशत (23%) मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य सहायक, प्रवर सहायक, अभिलेखपाल तथा कनिष्ठ सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उक्त श्रेणियों में किसी एक या अधिक पदों पर सेवा के दस वर्ष पूरे कर लिये हो, चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(ग) दो प्रतिशत (2%) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ वैयक्तिक सहायकों, वैयक्तिक सहायकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उक्त श्रेणियों में किसी एक या अधिक पदों पर दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

(2) वरिष्ठ विपणन अधिकारी :–

मौलिक रूप से नियुक्त/पदोन्नत स्थाई विपणन निरीक्षकों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को सेवा के कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

आरक्षण

6– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशो के अनुसार किया जायेगा।

भाग–4 अर्हतायें

राष्ट्रीयता

7– राजकीय सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो ,या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से, 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा ,श्रीलंका और केनिया, युगान्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पर्ववर्ती तंजानिया और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवजन किया हो,

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड प्रदेश से पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नही किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

शैक्षिक अर्हतायें

8– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होनी चाहिये और उसे देवनागरी लिपि में हिन्दी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिये।

अधिमानी अर्हतायें

9– ऐसे अभ्यर्थी की, जिसनें–
(एक) प्रादेशिक सेवा में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" अथवा "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु

10– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु, जिस कैलेण्डर वर्ष में आयोग द्वारा पद विज्ञापित किये जाते हैं, भर्ती की उस वर्ष की 01 जुलाई को कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाये, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाये।

चरित्र

11– सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नही होगें। कोई ऐसा व्यक्ति भी, जो नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो, पात्र नही होगा।

वैवाहिक प्रास्थिति

12– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियॉं जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी जिसका एक से अधिक पति जीवित हो।

परन्तु राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13– (1) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् की परीक्षा में सफल हो गया है।

(2) सेवा में अन्य पदों के मामलों में वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय तीन में दिये गये और मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थतता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थियो से स्वस्थतता प्रमाण–पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

परन्तु यह और कि दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्या–49 वर्ष–2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

भाग–5 भर्ती की प्रकिया

रिक्तियों का अवधारण

14– नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जानी वाली रिक्तियों की संख्या और नियम–छ: की अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जानी वाली रिक्तियों की सख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना आयोग को दी जायेगी।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

15– (1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन पत्र आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किया जायेगा ।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नही किया जायेगा जब तक उसके पास आयोग द्वारा जारी प्रवेश पत्र न हो।

(3) आयोग, लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात नियम छ: के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, उतनी संख्या में अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जो लिखित परीक्षा के परिणाम के

आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित मानक तक पहुँच सके हों। साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को दिये गये अंक लिखित परीक्षा में उसके द्वारा प्राप्त किये गये अंकों में जोड दिये जायेगें।

(4) आयोग अभ्यर्थी की प्रवीणता के क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंको के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की संस्तुति करेगा जितने वह नियुक्ति के लिये उचित समझेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चत्तर स्थान पर रखा जायेगा और यदि वे लिखित परीक्षा में भी बराबर अंक प्राप्त करें तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्च स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी, आयोग उक्त सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा।

आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

16– विपणन निरीक्षक के पद पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली, 2003 के अनुसार की जायेगी।

विभागीय चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17– (1) वरिष्ठ विपणन अधिकारी के पद पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होगें–

(एक) आयुक्त ————————— अध्यक्ष

(दो) अपर आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड––सदस्य

(तीन) आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी–सदस्य

(चार) यदि खण्ड (एक) से (तीन) के अधीन चयन समिति का कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का न हो तो आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक अधिकारी।

(पॉच) यदि खण्ड (एक) से खण्ड (तीन) के अधीन चयन समिति का कोई भी सदस्य पिछड़े वर्ग न हो तो आयुक्त द्वारा नाम निर्दिष्ट पिछड़े वर्ग का एक अधिकारी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की पात्रता सूची उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002 के उपबन्धों के

अनुसार तैयार करेगा और उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अभिलेखो के साथ, जो आवश्यक समझे जायें, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

परन्तु जहाँ किसी श्रेणी के पदों पर पदोन्नति एक से अधिक पोषक संवर्गों से की जाती है, वहाँ पात्रता सूची राज्य स्तर पर व्यक्तियों के नाम पात्रता के क्षेत्र में ज्येष्ठता क्रम में रखकर तैयार की जायेगी जैसा कि उनके अपने–अपने पदों पर उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक द्वारा अवधारित की जाये। और जहाँ दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को इस रूप में नियुक्त किये गये थे, अधिक आयु वाले व्यक्ति का नाम उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा इस प्रकार नाम रखने मे एक ही पद धारण करने वाले व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता बाधित नही की जायेगी।

परन्तु यह और कि जहाँ पोषक संवर्गो में पद भिन्न–भिन्न वेतनमानों में हो तो उच्चतर वेतनमान वाले व्यक्तियों के नाम पात्रता सूची में पहले रखे जायेगे ओर निम्न वेतनमान में पदधारण करने वाले व्यक्तियों के नाम उसके पश्चात रखे जायेगें।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकते है।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की सूची भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

संयुक्त चयन सूची

18– यदि नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो ही प्रकार से की जानी हो तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम नियम 15 और 16 के अधीन तैयार की गई सूची से अनुकल्पतः लिये जायेगें, पहला नाम नियम 16 के अधीन तैयार की गई सूची से लिया जायेगा ।

भाग–6 नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

19– (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी कम में लेकर जिसमें वे, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गई सूचियों में आये हों नियुक्ति करेगा।

(2) जहॉ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति द्वारा की जानी है वहॉ नियमित नियुक्तियॉ नही की जायेगी जब तक की दोनों स्रोतो से चयन न कर लिये जायें और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाये।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जायें तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामो का उल्लेख ज्येष्ठता कम में किया जायेगा। जैसा कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसा कि उस सवंर्ग मे हो जिससे उन्हे पदोन्नत किया जाये।

(यदि नियुक्तियॉ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनो द्वारा की जाये तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट चकानुकम के अनुसार रखे जायेगें)।

परिवीक्षा

20– (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर कोई व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा निश्चित दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ाई जाये।

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नही बढ़ाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नही किया है या सन्तोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है या उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवाये समाप्त की जाये किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने के अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

21– (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया जाये,

(ख) उसकी सत्यानिष्ठा प्रमाणित कर दी जायें और

(ग) नियुक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि वह स्थायीकरण के लिये अन्यथा उपयुक्त है।

(2) जहाँ उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो वहाँ उस नियमावली के नियम 5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुये कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा कुशलतापुर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

ज्येष्ठता

22– किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड राज्य सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग–7 वेतन

वेतनमान

23– (1) सेवा मे विभिन्न श्रेणियों के पदो पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जायेगा।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान **परिशिष्ट–'क'** में दिये गये है :–

परिवीक्षा अवधि में वेतन

24– (1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति की, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में, उसको प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो।

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाय तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्वि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग–8–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25– किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या

मौखिक, विचार नही किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवाकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियन्त्रित होगें।

सेवा की शर्तो में शिथिलता

27– जहाँ राज्य सरकार को यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहॉ वह इस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा, इस नियम की अपेक्षाओं को इस सीमा तक और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुये जिन्हे वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु जहॉ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया जाये तो उस नियम की अपेक्षाओं को शिथिल या अभिमुक्त करने से पूर्व उक्त निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

28– इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नही पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य विशिष्ट श्रेणी के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'क'

(नियम 4(2), 23 देखें)

क्रम संख्या	पद की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतनमान (₹ में)	लेवल
1	विपणन निरीक्षक	100	35400–112400	6
2	वरिष्ठ विपणन अधिकारी	40	44900–142400	7

आज्ञा से,

सुशील कुमार,
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **199/20-XIX-2/70 Food/2012,** dated May 12, 2020 for general information:

No. 199/20-XIX-2/70 Food/2012
Dated Dehradun, May 12, 2020

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution of India, and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules for the recruitment on the post of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs department (Marketing Branch) Subordinate Service and for regulation of service condition of person appointed therein:

The Uttarakhand Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, (Marketing Branch) Subordinate Service Rules, 2020

Part -1
General

Short Title and commencement 1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Food, Civil Supplies and consumer Affairs Department (Marketing Branch) Subordinate Service Rules, 2020.

(2) It shall come into force at once.

Status of Service 2. The Uttarakhand Food, Civil Supplies and consumer Affairs Department (Marketing Branch) Subordinate Service, comprises Group 'C' posts.

Definitions 3. In these rules, unless there is anything repugnant in the context,-

(i) **"Appointing Authority"** means the Commissioner, Food, Civil Supplies and consumer Affairs Department, Uttarakhand;

(ii) " **Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution of India;

(iii) **"Commission"** means the Uttarakhand Public Service Commission;

(iv) **"Commissioner"** means the Commissioner of Food, Civil Supplies and consumer Affairs Department, Uttarakhand;

(v) "**Constitution**" means the Constitution of India;

(vi) **"Government"** means the State Government of Uttarakhand;

(vii) "**Governor**" means the Governor of Uttarakhand;

(viii) **"Member of Service"** means a person substantively appointment under these rules or rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(ix) **"Service"** means the Uttarakhand Food, Civil Supplies and consumer Affairs Department (Marketing Branch) Subordinate Service ;

(x) **"Substantive appointment"** means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with the rules, and if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government; and

(xi) **"Year of recruitment"** means the period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

Part-2
Cadre

Cadre of service 4. (1) The strength of service and of each category of post shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule (1) shall be as given in Appendix "A":

Provided that :

(i) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post without thereby entitling any person to compensation.

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts, as may consider proper.

Part-3
Recruitment

Source of recruitment 5. Recruitment to the posts in different categories in service shall be made from the following sources:-

(1) Marketing Inspector:-

(a) 75 percent direct recruitment through the Commission and

(b) 23 percent by promotion amongst from Chief Assistant, Senior Assistant, Record Keeper and Junior Assistant cum Computer Operator substantially appointed who have completed ten years of service on any or more posts in the said categories on the first day of recruitment year, on the basis of seniority, subject to rejection of unfit through the selection committee.

(c) 2 percent by promotion from amongst such Senior Personal Assistants, Personal Assistants substantially appointed who have completed their ten years services as such on the first day of the year of recruitment through the Selection Committee, subject to the rejection of unfit on the basis of seniority.

(2) Senior Marketing Officer:-

By promotion amongst such permanent Marketing Inspectors substantially appointed who have completed their five years services as such on the first day of the year of recruitment through the Selection Committee, subject to the rejection of unfit on the basis of seniority.

Reservation 6. Reservation for the candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Castes, Economically Weaker section and other categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Part-4

Qualifications

Nationality 7. A candidate for direct recruitment to any post in the Government Service must be-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before 1st January,1962, with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (Formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) and (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) shall also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in Service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note: A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualification	**8.**	For appointment to any post in the service a candidate must have a Graduation Degree of recognized University or any other qualification recognized equivalent to it must have a good knowledge of Hindi Devnagri script.
Preferential qualification	**9.**	A candidate who has- (i) Served in Territorial Army for a minimum period of two years, or (ii) Obtained a 'B' or 'C' certificate of the National Cadet Corps, shall Other things being equal be given preference in the matter of direct recruitment.
Age	**10.**	A candidate for direct recruitment must have attained the minimum age of 21 years and must not have attained the maximum age of 42 years on First July of calendar year in which the post are advertised by commission. Provided that the upper age-limit in the case of candidate belonging to the Scheduled casts, Scheduled tribes, Other Backward Classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.
Character	**11.**	The character of the candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Services. The Appointing Authority shall satisfy himself on this point. **Note:** Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall not be eligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also not be eligible.
Marital status	**12.**	A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has more than one husband living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Governor may, if satisfied that there exists special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness 13. (1) No such candidate shall be appointed to any position in the service, if he is not physically and mentally healthy and is not free from any such physical defect, which may cause him to interfere in the efficient discharge of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he will be expected to be successful in the examination of the Medical Council.

(2) In case of other posts in the service, it is required to submit a fitness certificate as per the rules made under the original rule-10 contained in Chapter-II of Financial Handbook Section-II Part-II:

Provided that, the candidate appointed by promotion shall not be required to produce a fitness certificate.

Provided further that subsequent to section 33 of the Right of Person with Disabilities act, 2016 (Act No. 49 of 2016) the post identified for this and the categories identified under section- 34 the disabled shall not be denied the appointment as per rules:

PART-5

Procedure for Recruitment

Determination of vacancies 14. The Appointment Authority shall determine number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and Other Categories belonging to State of Uttarakhand under rule 6, the vacancies to be filled inform the Commission shall be intimated to Commission.

Procedure for direct recruitment 15. (1) The Commission shall invite application for permission to appear in the competitive examination. The application form shall be submitted in the format prescribed by the Commission.

(2) No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a admit card issued by the Commission.

(3) After the results of the written examination has been received and tabulated, the Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward classes, Economically weaker sections and other categories under rule 6, call for interview such number of candidates, on the basis of result of the written examination who have come up to the standard fixed by the Commission in this respect.

(4) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their merit as disclosed by the aggregate of marks obtained by each candidate at the written examination and interview and recommend such number of candidates which it consider fit for appointment. If two or more candidates obtain equal marks in total the name of the candidate obtaining higher marks in the written examination shall be placed higher in the list. If mark obtained in written examination is also equal then name of the candidate of older age shall be placed higher in the merit list and if age is also same, name in merit list shall be placed. Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Procedure for recruitment by promotion of the consultant of commission 16. Promotion for the post of Marketing Inspector, rejection of unfit, basis of seniority in according of Uttarakhand promotion by selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003.

Procedure for recruitment by promotion through the departmental selection committee

17. (1) Promotion on the post of Senior Marketing Officer shall be done on the basis of seniority subject to the rejection of unfit, through the selection committee comprising :-

(i) Commissioner- Chairman;

(ii) Additional Commissioner, Food, Civil Supplies and consumer Affairs Department, Uttarakhand- Member;

(iii) An officer nominated by Commissioner- Member;

(iv) An officer of Schedule Caste or Scheduled Tribes nominated by the Commissioner if Under clause (i) to (iii) in Selection Committee, there is no person of Scheduled Caste or Scheduled Tribes.

(v) An officer of other Backward Classes nominated by the Commissioner if under clause (i) to clause (iii) in Selection Committee is no person of Other Backward Classes.

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates according to provisions of Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion Committee (for Post Outside the Purview of Public Service Commission) Rules, 2002 and place it before the selection committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper:

Provided that where promotion on the post of any category is done from more than one feeder cadre, the merit list shall be prepared at state level by keeping the name of persons in the order of seniority in field of merit as it determined by the date of their substantive appointment on their posts, and where two or more persons were appointed in this from on same date, the name of person elder in age shall be placed higher. Thus in placing name, interse seniority of persons holding same post shall not be interrupted:

Provided further that where post in the feeder cadre are in different scales of pay, name of persons of higher scale of pay shall be placed higher and persons holding post in low scale of pay shall be placed after them.

(3) The Selection Committee shall consider the matters of candidates on the basis of the records referred to in Sub-rule (2).

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates according to the Government orders in force at the time of recruitment and send it to the appointing authority.

Combined select list 18. If in any year of recruitment appointment are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists perpared under rule 15 and 16; the first name in the list shall be from list prepared under rule 16.

PART -6

Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment 19. (1) Subject to the provision of sub-rule (2) the Appointing Authority shall make the appointments by taking the name of candidates in that order, in which they stand in the list prepared under rule 15,16 and 17, as the case may be.

(2) Where, in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotions, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the cyclic order, referred to in rule 17.

Probation

20. **(1)** A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of two year.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two year.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his Services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose Services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous Service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

21. (1) Subject to the provision of sub rule (2) a Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory.

(b) his integrity is certified.

(c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

(2) Where the confirmation is not necessary according to the provision of the Uttarakhand State Government Servants Confirmation Rules, 2002, the order of the declaration under sub rule (3) of rule 5 of the Rules that the concerned person had successfully completed his probation shall be deemed the order of the confirmation.

Seniority

22. The seniority of a person shall be determined according to the provisions of the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002 as amended from time to time.

PART-7
Scale of pay

Scale of Pay

23. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of pay at the time of the Commencement of these rules are given in **Appendix 'A'**.

Pay during probation

24. (1) Notwithstanding any provision in the Principal Rules to the contrary a person on probation if he is not already in permanent government service shall be allowed his first increment in the time-scale, when he has completed one year of satisfactory service including period-of-training and has passed the Departmental examination; where prescribed and second increment, after two years satisfactory service, where he has completed the probationary period and is also confirmed;

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority direct otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post, under the Government, shall be regulate, by the relevant Principal Rules.

PART -8

Other provisions

Canvassing 25. No recommendations, either written or oral other than those required under these rules, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters 26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or by special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of Service 27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, the Commission shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Savings 28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically weaker sections and Other Special Categories of persons of State of Uttarakhand in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

Appendix "A"

(see rule 4(2), 23)

Sl.No.	Cadre of post	Number of posts	Pay scale (in Rs.)	Level
1	Marketing Inspector	100	35400-112400	6
2	Senior Marketing Officer	40	44900-142400	7

By Order,

SUSHIL KUMAR,

Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 03 खा०ना०आ० / 214–2020–100+50 (कम्प्यूटर / रीजियो)।